तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	रेखा बनाम मुकेश वगैरह	
28.12.18	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 30.11.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्तियॉ एवं दिनांक 10.01.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील विड्रो किये जाने पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस दिनांक 14.12.2018 को सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट संख्या 02 के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर आपत्तियॉ पर दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट संख्या 01 ने मौजूदा रूप में प्रार्थना पत्र की प्रस्तुती एवं उसमें चाह गये अनुतोष की प्राप्ति हेतु न्यायालय से निवेदन करने से पूर्व संबंधित आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है एवं अपीलांट द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत कर रखा हैं । न्यायालय द्वारा विवादित आराजी बाबत् स्थगन आदेश होने के बावजूद बेचान किये गये हैं जिसके संदर्भ में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. पेश किये हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को आराजी का बेचान हुआ है जिस पर क्रेताओं को नोटिस जारी कर पक्षकार बनाते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित हैं। न्यायालय हाजा से निवेदन है प्रार्थना पत्र आपत्तियॉ स्वीकार कर अपीलांट संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि जाप्ता दीवानी के आदेश 23 नियम 1 के अनुसार अगर कोई अपीलांट अपना प्रकरण चलाना नहीं चाहते है तो उसे कानूनन अपील चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपीलांट संख्या 02 ने अपना हिस्सा पूर्व में बेचान कर दिया हैं और अपील में रेखा पुत्री हीरा जो की नाबालिग थी तब प्राकृतिक सरंक्षक थी चूॅकि अपीलांट संख्या 01 रेखा अब स्वंय बालिग है इसलिए रेखा के हक अधिकार बाबत् प्रस्तुत अपील को चलाने व नहीं चलाने का अधिकार अब केवल अपीलांट संख्या 01 रेखा को रह गया हैं। इसलिए अपीलांट संख्या 02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्तियॉ खारिज किया जावें एवं अपीलांट संख्या 01 के द्वारा दिनांक 10.01.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अपील विड्रो किये जाने को स्वीकार कर अपील विड्रो किये जाने से निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपील का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल दावा खाता विभाजन का वादी मुकेश द्वारा नाबालिग प्रतिवादी रेखा के विरूद्व आराजी खसरा नम्बर 202/1 व 203/1 के विभाजन हेतु पेश किया गया हैं एवं उक्त दोनो खसरा नम्बर में वादी का 5/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी रेखा का 1/6 हिस्सा निहित है एवं सुजा का कोई हिस्सा दर्ज नहीं है इस तथ्य की पुष्टि दावें के साथ पेश जमाबंदी सम्वत 2067–2070 पर अंकित नामान्तकरण नोट से होती हैं। चूॅकि बरवक्त प्रस्तुतीदावा रेखा नाबालिंग थी इसलिए दावा जरिये संरक्षक सूजा द्वारा प्रस्तुत किया था किन्तु अपील के दौरान	

RSA 170/14/223 रेखा बनाम मुकेश वगै.

तारीख पेशी	बनाम 2014/0096 4A-6 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	रेखा बालिग हो चुकी हैं और वह बालिग होने के कारण स्वंय पैरवी हेतु पूर्ण सक्षम हैं। इस हेतु स्वंय रेखा का तस्दीकशुद्वा शपथ पत्र दिनांक 26.12.2017 भी पत्रावली पर मौजूद हैं। चुँकि रेखा अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहती है और इसी स्तर पर अपील विड्रो करना चाहती हैं तथ जाप्ता दीवानी के आदेश 23 नियम 1 के अनुसार अगर कोई अपीलांट अपना प्रकरण चलाना नही चाहते है तो उसके कानूनन अपील चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता हैं। चुँकि विवादित आराजीयात मे वर्तमान जमाबंदी अनुसार केवल रेखा एवं मुकेश ही सहखातेदार हैं और सूजा अब सह खातेदार भी नही है। इसलिए सूजा का अपील में विचाराधीन आराजी से संबंध नहीं है। इस कारण अपीलांट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्तियॉ खारिज योग्य हैं एवं अपीलांट संख्या 01 रेखा द्वारा अपील विड्रो किए जाने से प्रश्नगत अपील पूर्णतः खारिज किया जाना न्यायोचित हैं। **अतः अपीलांट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्तियॉ खारिज किया जाता हैं एवं अपीलांट संख्या 01 द्वारा अपील विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 28/1/18 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	